[2019] 4 एस. सी. आर 829

/

कोलकाता और ओ. आर. एस. के बंदरगाह के लिए न्यासी मंडल।

बनाम

एपीएल (इंडिया) पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। (2013 की सिविल अपील संख्या 3910)
फरवरी 21,2019

/

[ए. के. सिकरी, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971।2(छ), 5,5 ए और 6-एक मेसर्स शालीमार तार प्रोडक्ट्स लिमिटेड को आवंटित भूमि। (एस. टी. पी. एल.)-एस. टी. पी. एल. ने पोर्ट ट्रस्ट को किराया देना बंद कर दिया-एस. टी. पी. एल. के पक्ष में पट्टे की अवधि समाप्त हो गई-एस. टी. पी. एल. परिसर का कब्जा देने में विफल रही-पोर्ट ट्रस्ट ने यू/पी. पी. अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू की-एस्टेट अधिकारी ने बेदखली का आदेश पारित किया-परिसर के कब्जे की वसूली के लिए नियुक्त अधिकृत अधिकारी ने परिसर और उस पर ढेर किए गए कंटेनरों पर कब्जा कर लिया-यू/एस.6(1) परिसंपत्ति अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा परिसर में बची हुई किसी भी संपत्ति को हटाने या हटाने या निपटाने के लिए जारी किया गया-उक्त कार्यवाही में, प्रतिवादी नं।6 उपस्थित हुए और परिसर से बड़ी संख्या में कंटेनरों को हटाने की अनुमति मांगी-अस्वीकृत-प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की, अन्य बातों के साथ-साथ, परिसर में पड़े कंटेनरों को हटाने की अनुमति मांगी-एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि कैनोरो रिसोर्सेज में कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो अलग-अलग खंड पीठों और एस के दायरे और दायरे पर भारतीय रेयॉन द्वारा अलग-अलग विचार लिए गए हैं।59 1963 के अधिनियम के तहत, मामले को बड़ी पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया-पूर्ण पीठ ने कहा कि एस. एस.59, 61 1963 के अधिनियम की कार्यवाही को पीपी अधिनियम के तहत नहीं पढ़ा जा सकता है और एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका को रखने का निर्देश दिया गया है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःपी. पी. अधिनियम सार्वजनिक परिसरों से रहने वालों को बेदखल करने और कुछ आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करता है-सार्वजनिक परिसरों से अनधिकृत रहने वालों को बेदखल करने के लिए एक त्वरित तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाया गया था क्योंकि सार्वजनिक परिसरों पर अनधिकृत कब्जे के स्पष्ट मामलों में भी सरकार के लिए त्वरित कार्रवाई करना असंभव हो गया था-इस तरह के कब्जे के लिए प्राधिकरण के बिना सार्वजनिक परिसरों पर कब्जा करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अनधिकृत रहने वाला है।

/

/

/

/

/

/

829 ए.

830 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 4 एस. सी. आर.

– 'किसी भी सार्वजनिक परिसर में फैला' अभिव्यक्ति, एस में निहित है।5 ए (1) (बी) का अर्थ 'किसी भी परिसर में पड़ा हुआ' भी है -एस. 5 ए (3) बेदखल करने के आदेश के बाद किसी भी सार्वजनिक परिसर में पड़े किसी भी सामान को हटाने के लिए संपदा अधिकारी को अधिकृत करता है।5 – यह भी आवश्यक नहीं है कि पोर्ट ट्रस्ट और तीसरे पक्ष के बीच अनुबंध की गोपनीयता होनी चाहिए, जिसके पास ऐसे सामान हैं, ताकि संपदा अधिकारी यू/एस द्वारा संपत्ति का निपटान किया जा सके। 6 –धारा 6 अन्य बातों के साथ-साथ उन व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो अपना माल सार्वजनिक परिसरों में रखते हैं, चाहे वे किरायेदार/लाइसेंसधारी, उप-किरायेदार हों या कोई अन्य पक्ष हों-राज्य अधिकारी, यू/एस।6 अनधिकृत कब्जे के अंतर्गत परिसर में/परिसर में पाए जाने वाले किसी अजनबी के सामान को भी बेचने का हकदार है-पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि कैनोरो रिसोर्सेज में डिवीजन बेंच के दो निर्णयों और भारतीय रेयॉन-रिट याचिका पर तेजी से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश-मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963-एस के बीच कोई टकराव नहीं है।59 और 61.

/

/

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 -एस. 6-चर्चा का उद्देश्य।

/

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** यह विवाद में नहीं है कि परिसर एक "सार्वजनिक परिसर" है जैसा कि सार्वजनिक परिसर **(**अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली**)** अधिनियम**, 1971** के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पी**.** पी**.** अधिनियम सार्वजनिक परिसरों से रहने वालों को बेदखल करने और कुछ आकस्मिक मामलों का प्रावधान करता है।यह अधिनियम सार्वजनिक परिसरों में अनधिकृत रूप से रहने वालों को हटाने के लिए एक त्वरित तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित

किया गया था।पी. पी. अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के बयान से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक परिसरों पर अनधिकृत कब्जे और ऐसे अनधिकृत कब्जे के लिए किराए या नुकसान की वसूली के स्पष्ट मामलों में भी सरकार के लिए त्वरित कार्रवाई करना असंभव हो गया है।इसलिए, अनधिकृत कब्जे वाले व्यक्तियों को बेदखल करने के लिए एक त्वरित तंत्र को बहाल करना अनिवार्य माना जाता है।**[**पारस **15,16] [837**-जी-एच**; 838**-ई**]**

/

/

/

1.2 धारा **2 (**जी**)** सार्वजनिक परिसरों के संबंध में 'अनधिकृत कब्जा' अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है।धारा **5** अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है।धारा **5** ए को **1980** के अधिनियम **61** द्वारा जोड़ा गया था**,** जो **20.12.1980** से प्रभावी हो गया है।इस खंड में ए को हटाने का प्रावधान है।

/

831

कोलकाता v.APL (भारत) PVT के बंदरगाह के लिए न्यासियों का बोर्ड। लिमिटेड।

किसी भी सार्वजनिक परिसर पर या उसके खिलाफ या उसके सामने अनधिकृत निर्माण।धारा **6** अनधिकृत अधिभोगियों द्वारा सार्वजनिक परिसरों में छोड़ी गई संपत्ति के निपटान का प्रावधान करती है।धारा **6** की उप-धारा **(1** ए**)** और **(2)** से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक परिसरों पर कब्जा करने वाला कोई भी व्यक्ति**,** जो इस तरह के व्यवसाय के लिए प्राधिकरण के बिना है**,** एक अनधिकृत अधिभोगकर्ता है।इस संदर्भ में धारा **5** ए की उप-धारा **(1) (**बी**)** में निहित 'किसी भी सार्वजनिक परिसर में फैला हुआ' अभिव्यक्ति का अर्थ भी 'किसी भी परिसर में पड़ा हुआ' है।धारा **5** ए की उप-धारा **(3)** संपदा अधिकारी को अधिनियम की धारा **5** के अंतर्गत बेदखली का आदेश दिए जाने के बाद किसी भी सार्वजनिक परिसर में पड़े किसी भी सामान को हटाने के लिए अधिकृत करती है। यह मायने नहीं रखता कि उक्त माल पूर्व किरायेदार/लाइसेंसधारी का है या किसी अन्य पक्ष का।धारा **6** की उप-धारा **(1** ए**)** संपदा अधिकारी को ऐसी वस्तुओं के मालिक व्यक्तियों को चौदह दिन का नोटिस देने और उसमें निर्धारित अन्य प्रक्रिया के बाद ऐसी वस्तुओं/सामग्रियों आदि का निपटान करने के लिए अधिकृत करती है।यह आवश्यक नहीं है कि परिसर में पड़े माल के मालिक व्यक्ति पूर्व किरायेदार/लाइसेंसधारी हों।यह भी आवश्यक नहीं है कि धारा **6** के अंतर्गत संपदा अधिकारी द्वारा संपत्ति के निपटान के लिए पोर्ट ट्रस्ट और तीसरे पक्ष के बीच अनुबंध की गोपनीयता होनी चाहिए**,** जिसके पास ऐसी वस्तुएं और सामग्री हैं।**[**पारस **17-20] [837-G; 838-D-E]**

/

/

/

/

1.3 पी. पी. अधिनियम की धारा **6** को सार्वजनिक परिसरों का कब्जा प्राप्त करने के बाद और बकाया आदि की वसूली के लिए सभी परिणामी कदम उठाने के लिए वैधानिक अधिकारियों को सक्षम बनाने के स्पष्ट उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उक्त प्रावधान की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए जो इसके अधिनियमन के उद्देश्य को विफल कर दे।पी. पी. अधिनियम की धारा **6** को एम. पी. टी. अधिनियम की धारा **59** और **61** से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। पी. पी. अधिनियम की धारा **6,** अन्य बातों के साथ-साथ**,** उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो अपना सामान सार्वजनिक परिसरों में रखते हैं**,** चाहे वे किरायेदार/लाइसेंसधारी**,** उप-किरायेदार या कोई अन्य पक्ष हों।पी. पी. अधिनियम की धारा **6** के अंतर्गत संपदा अधिकारी**,** अनधिकृत कब्जे के अंतर्गत परिसर में/परिसर में पाए गए किसी अजनबी के सामान को भी बेचने का हकदार है।उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पहले ही रिट याचिका को गुण-दोष पर निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया था।उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश से अनुरोध है कि वे रिट याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लें**,** अधिमानतः छह की अवधि के भीतर।

/

/

/

832 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 4 एस. सी. आर.

/

इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से महीने **[**पैरा **24,25] [841**-जी-एच**; 842**-ए-सी**]**

पोर्ट ऑफ कोलकाता बनाम कैनोरो रिसोर्सेज लिमिटेड और अन्य के लिए न्यासी मंडल। 2008 (1) सीएचएन 941; पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंडियन रेयॉन कॉर्प के लिए न्यासी मंडल।

लिमिटेड और ओआरएस। 1987 (28) ई. एल. टी. 334 (कैल.); बोर्ड ऑफ

/

बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी और अन्य।श्रीयनेश

निटर्स (1999) 7 एस. सी. सी. 359:[1999] 3 एस. सी. आर. 1238-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

/

2008 (1) सीएचएन **941** पैरा **10 1987 (28)** ईएलटी **334 (**कैल**.)** पैरा **10 [1999] 3** एससीआर **1238** पैरा **13** को संदर्भित किया गया है।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2013 की सिविल अपील सं. 3910।

/

डब्ल्यू. पी. में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.08.2009 के निर्णय और आदेश से। (ग) 2008 की सं. 1116

सह

2013 की सिविल अपील सं. 3912,3911।

/

पराग पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. वी. रंगम, बडी ए. रंगानाधन, सुश्री स्तुति कृष्ण, सुश्री मिशिका बाजपेयी, चिरारंजन अड्डी, ए. लक्ष्मीनारायणन, श्री पाल सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे. 1.कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के एक संदर्भ से उत्पन्न होने वाली ये अपीलें, सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (संक्षेप में 'पीपी अधिनियम') की धारा 6 के अर्थ, व्याख्या और प्रयोज्यता पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं। यह मुद्दा अपीलार्थियों (इसके बाद "पोर्ट ट्रस्ट" के रूप में संदर्भित) के "सार्वजनिक परिसरों" में पड़ी वस्तुओं और सामग्रियों को जब्त करने और उनका निपटान करने के अधिकार के इर्द-गिर्द घूमता है, जो आवश्यक रूप से पीपी अधिनियम के अंतर्गत ऐसे "सार्वजनिक परिसरों" के पूर्व किरायेदार/लाइसेंसधारी से संबंधित नहीं हो सकते हैं।

/

/

833

कोलकाता v.APL (भारत) PVT के बंदरगाह के लिए न्यासियों का बोर्ड। लिमिटेड।[एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

/

2. इन अपीलों के निपटारे के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

3. भूमि का एक टुकड़ा जिसका कुल माप 17238.15 वर्ग मीटर है।एमटीआर।ट्रांसपोर्ट डिपो रोड, पी. एस. तारातोला, कोलकाता में स्थित (संक्षेप में 'परिसर') मैसर्स शालीमार तार प्रोडक्ट्स लिमिटेड (इसके बाद 'एस. टी. पी. एल.' के रूप में संदर्भित) को दिनांक 06.12.1963 के असाइनमेंट डीड के माध्यम से आवंटित किया गया था।एस. टी. पी. एल. ने 1973 से पोर्ट ट्रस्ट को किराए का भुगतान बंद कर दिया। एस. टी. पी. एल. के पक्ष में दिए गए परिसर के संबंध में पट्टा वर्ष 1981 में समय के साथ समाप्त हो गया।इसलिए, पोर्ट ट्रस्ट ने एस. टी. पी. एल. को परिसर छोड़ने और अपना कब्जा देने के लिए दिनांक 31.08.2000 का नोटिस जारी किया।चूंकि एस. टी. पी. एल. परिसर का कब्जा वापस देने में विफल रहा, इसलिए पोर्ट ट्रस्ट ने बेदखल करने के साथ-साथ पी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संपदा अधिकारी के समक्ष अनधिकृत कब्जे के कारण किराए और बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की।

/

/

4. एस्टेट अधिकारी ने एस. टी. पी. एल. को पी. पी. अधिनियम की धारा 4 और 7 के अंतर्गत दिनांक 24.01.2006 का नोटिस जारी किया। परिसर पर कब्जा करने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों को भी परिसर की बाहरी दीवार पर उपरोक्त नोटिस चिपकाकर सूचित किया गया था।एस. टी. पी. एल. विधिवत रूप से संपदा अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ।

/

5. एस्टेट अधिकारी ने पोर्ट ट्रस्ट और एस. टी. पी. एल. को सुनने के बाद, आई. डी. 2 पर बेदखली का आदेश पारित किया, और एस. टी. पी. एल. को आई. डी. 1 तक की गणना में अनधिकृत उपयोग और परिसर पर कब्जे के लिए नुकसान का भुगतान करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उस पर ब्याज शामिल नहीं था।पोर्ट ट्रस्ट ने उक्त आदेश के निष्पादन और पी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिसर के कब्जे की वसूली के लिए एक अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति के लिए संपदा अधिकारी को आवेदन किया। 19.02.2008 पर, संपदा अधिकारी ने श्रीमती को नियुक्त करने का आदेश पारित किया। पोर्ट ट्रस्ट की प्रभारी अधिकारी (संपदा) सुबरना ठाकुर दिनांक 09.07.2007 के बेदखली के आदेश के संदर्भ में कब्जे की वसूली के लिए एक अधिकृत अधिकारी के रूप में।

/

/

6. अधिकृत अधिकारी ने परिसर और उस पर ढेर किए गए पात्रों को अपने कब्जे में ले लिया। बेदखली और कब्जा करने के तुरंत बाद, पोर्ट ट्रस्ट ने परिसर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए।कब्जा लेने के समय परिसर में कई कंटेनर रह गए थे।

/

/

834

/

[2019] 4 एस सी आर।

7. कब्जा लेने के बाद, अधिकृत अधिकारी ने एस्टेट अधिकारी को सूचित करते हुए 10.03.2008 दिनांकित एक पत्र लिखा कि एसटीपीएल से 08.03.2008 पर परिसर में ढेर किए गए कंटेनरों के साथ भूमि बरामद कर ली गई है।संपदा अधिकारी ने अधिकृत अधिकारी को पोर्ट ट्रस्ट के एक सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में परिसर में पड़ी सामग्री/वस्तुओं/वस्तुओं की सूची लेने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया और अनधिकृत अधिभोगियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के निपटान के लिए पीपी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नोटिस जारी करने और पीपी अधिनियम के प्रावधानों और परिसर में पड़ी संपत्ति के निपटान के लिए उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार समाचार पत्र में उक्त नोटिस की एक प्रति प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।उक्त कार्यवाही में, प्रतिवादी संख्या 6 10.03.2008 पर उपस्थित हुआ और परिसर से बड़ी संख्या में कंटेनरों को हटाने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया।संपदा अधिकारी ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिस पर छठे प्रतिवादी द्वारा सवाल नहीं उठाया गया है।

/

/

8. उपरोक्त आदेश के संदर्भ में, पी. पी. अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत संपदा अधिकारी द्वारा परिसर में बची हुई किसी भी संपत्ति को हटाने या हटाने या सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटाने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था।उक्त नोटिस की एक प्रति एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से भी जारी की गई थी।इसमें प्रतिवादियों/रिट याचिकाकर्ताओं ने एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिसर में पड़े कंटेनरों को हटाने की अनुमति मांगी गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उन्हें एसटीपीएल से बकाया की वसूली होने तक कंटेनरों को हटाने से नहीं रोका जा सकता है। यह आगे तर्क दिया गया कि पोर्ट ट्रस्ट ने गलत तरीके से उनके कंटेनरों को रोक दिया था और पोर्ट ट्रस्ट के साथ अनुबंध की उनकी कोई गोपनीयता नहीं थी और इसलिए, पोर्ट ट्रस्ट को कोई किराया देने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

/

/

/

9. पोर्ट ट्रस्ट ने रिट याचिका का विरोध किया।कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 59 के

दायरे और दायरे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो अलग-अलग खंड पीठों द्वारा अलग-अलग विचार लिए गए हैं (संक्षेप में 'एम. पी. टी. अधिनियम'), निम्नलिखित प्रश्न का निर्धारण करने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजाः

/

“क्या प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 59, जिसे 1971 के अधिनियम की धारा 5 और 6 के साथ पढ़ा जाता है, केपीटी को ग्रहणाधिकार का अधिकार प्रदान करती है, या तीसरे ए के माल को हिरासत में लेने, जब्त करने और/या बेचने का अधिकार प्रदान करती है।

/

835

कोलकाता v.APL (भारत) PVT के बंदरगाह के लिए न्यासियों का बोर्ड। लिमिटेड।[एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

किरायेदारों से देय किराए के बकाया की वसूली के लिए सार्वजनिक परिसरों में पड़े पक्षकार, भले ही उन वस्तुओं के मालिक को केपीटी के साथ अनुबंध की कोई गोपनीयता हो।

10. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि टिप्पणियां

2008 में रिपोर्ट किए गए पोर्ट ऑफ कोलकाता बनाम कैनोरो रिसोर्सेज लिमिटेड और अन्य के लिए न्यासी मंडल की खंड पीठ (1) सीएचएन

/

941, (एम. पी. टी. अधिनियम की धारा 59 और 61 पर संक्षेप में 'कैनोरो रिसोर्सेज') सबसे अधिक आज्ञाकारी आदेश थे।ऐसा मानते हुए, पूर्ण पीठ ने राय दी कि डिवीजन के फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं था

पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंडियन रेयॉन के लिए न्यासी मंडल में पीठ

कॉर्प.लिमिटेड और ओआरएस।, 1987 (28) ई. एल. टी. 334 (कैल.), (संक्षेप में 'इंडियन रेयॉन') और कैनोरो रिसोर्सेज में रिपोर्ट की गई।पूर्ण पीठ की टिप्पणियां इस प्रकार हैंः

/

“डिवीजन बेंच के अवलोकन के उचित सम्मान के साथ, हम इससे सहमत नहीं हैं।हमारी राय में एम. पी. टी. ए. की धारा 59 और 61 को पी. पी. ए., 1971 के अंतर्गत कार्यवाही में नहीं पढ़ा जा सकता है।एम. पी. टी. ए. की धारा 59 के अंतर्गत कोई सामान्य ग्रहणाधिकार नहीं हो सकता है जो के. पी. टी. के साथ अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं रखने वाले पक्ष के सामान को कवर करेगा, जिन्हें पी. पी. ए., 1971 के अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही में बेचा जाना चाहिए।डिवीजन बेंच वास्तव

में नोटिस करती है कि केपीटी ने निष्पादन में अपने किरायेदार से भूमि का कब्जा प्राप्त किया था, और कुछ लकड़ी और आवरण पाइपों को जब्त कर लिया था जो कब्जा लेने के समय पट्टे पर रखी भूमि पर पड़े थे।मालिक ने सामान का आयात किया था।उन्हें आगे के गंतव्य पर भेजने के उद्देश्य से खुले मैदान में रखा गया था।स्पष्ट रूप से, इसलिए, एम. पी. टी. ए. की धारा 42 के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं के लिए दरों और किराए के कारण के. पी. टी. का माल के खिलाफ कोई दावा नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में, एम. पी. टी. ए. की धारा 59 और 61 के प्रावधान पक्षों के बीच विवाद को तय करने के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थे।डिवीजन बेंच द्वारा तय किया गया मुद्दा दलीलों पर नहीं उठा।न ही किसी भी पक्ष द्वारा इस मुद्दे पर बहस की गई।पक्षों द्वारा तर्क दिए गए तीन बिंदु,1) कि के. पी. टी. को एक पार्टी बनाया जाना चाहिए था,2) पी. पी. ए., 1971 की धारा 6 के अंतर्गत के. पी. टी. अनधिकृत कब्जे के अंतर्गत परिसर में/परिसर में पाए गए सामान को बेचने का हकदार था और 3) वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था।इसलिए, हमारी राय में, पैराग्राफ 18 के निष्कर्ष केवल सबसे अच्छे हैं।

/

/

/

/

/

836

/

[2019] 4 एस सी आर।

आज्ञाकारी आदेश।हमारी राय में, निर्णय के पैरा 18 का पहला भाग न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दे से संबंधित नहीं है।श्री अनिंद्य मित्रा ने धारा 59 या 61 के अंतर्गत केपीटी की शक्ति के बारे में मुद्दा भी नहीं उठाया था।कोई शिकायत भी नहीं की गई थी, जबकि याचिकाकर्ताओं के वकील श्री जयंत कुमार मित्रा ने कहा कि केपीटी ने एम. पी. टी. ए. की धारा 59 और 61 को गलत तरीके से लागू किया था। पूरा मुद्दा केवल पी. पी. ए., 1971 के अंतर्गत के. पी. टी. की शक्तियों तक सीमित था।हमारी राय में, यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें डिवीजन बेंच द्वारा, उसमें आमंत्रित किए बिना, या तो अभिवचनों में या विद्वान वकील की प्रस्तुतियों में प्रवेश किया गया था।इसलिए, इन टिप्पणियों को एम. पी. टी. ए. की धारा 59 और 61 की व्याख्या पर एक मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। हमारी राय में, धारा 59 और 61 के दायरे के संबंध में मुद्दे को इंडियन रेयॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऊपर) में डिवीजन बेंच द्वारा सही ढंग से तय किया गया है।यह निर्णय मैसर्स श्रीयनेश मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप है।

/

/

बुनाई (ऊपर)।

/

ऊपर बताए गए कारणों से, हम श्री अनिंद्य मित्र के इस कथन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि पहले के बीच कोई संघर्ष नहीं है।इंडियन रेयॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऊपर) में डिवीजन बेंच का निर्णय और बाद में डिवीजन बेंच का निर्णय

कैनोरो रिसोर्सेज लिमिटेड (ऊपर) में।सबसे पहले लिया गया दृश्य

/

कैनोरो रिसोर्सेज लिमिटेड **(**ऊपर**)** में निर्णय के पैराग्राफ **18** का हिस्सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के विपरीत है और इसलिए**,** इसे अच्छा विधि नहीं कहा जा सकता है। **"**

11. उपरोक्त संदर्भ का जवाब देने के बाद, पूर्ण पीठ ने गुण-दोष पर निर्णय के लिए रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।पोर्ट ट्रस्ट ने इन अपीलों में पूर्ण पीठ के उपरोक्त निर्णय की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी है।12. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पराग पी. त्रिपाठी ने कहा कि प्रश्न परिसर एक "सार्वजनिक परिसर" है जैसा कि पीपी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पोर्ट ट्रस्ट के लिए परिसर से अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने या सार्वजनिक परिसरों में पड़े सामानों और सामग्रियों के निपटान के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई रोक नहीं है जो आवश्यक रूप से उक्त परिसर के पूर्व किरायेदार/लाइसेंसधारी से संबंधित नहीं हो सकते हैं।पोर्ट ट्रस्ट ने पी. पी. अधिनियम के अंतर्गत अनधिकृत रहने वाले को बेदखल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पोर्ट ट्रस्ट ने ए की शुरुआत नहीं की है

/

/

/

837

कोलकाता v.APL (भारत) PVT के बंदरगाह के लिए न्यासियों का बोर्ड। लिमिटेड।[एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

एम. पी. टी. अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई। पी. पी. अधिनियम की धारा 6 को स्वयं पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए।यह एम. पी. टी. अधिनियम की धारा 59 और 61 पर निर्भर नहीं है। यह

तर्क दिया जाता है कि भारतीय रेयॉन में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं है।न्यायालय के लिए किसी अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने के उद्देश्य से एम. पी. टी. अधिनियम की धारा 59 और 61 और पी. पी. अधिनियम की धारा 5 और 6 को संयुक्त रूप से पढ़ना अनावश्यक है।आगे यह तर्क दिया जाता है कि पूर्ण पीठ को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि पोर्ट ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता भी शामिल हैं और वे पी. पी. अधिनियम की धारा 5 और 6 के अंतर्गत पारित संपदा अधिकारी के आदेश से बाध्य हैं।

/

/

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री चिरारंजन अड्डी प्रस्तुत करते हैं कि पोर्ट ट्रस्ट और प्रत्यर्थियों/रिट याचिकाकर्ताओं के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है और पोर्ट ट्रस्ट तीसरे पक्ष के माल के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है।इसलिए, कैनोरो रिसोर्सेज में की गई टिप्पणियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता तीसरे पक्ष होने के नाते, एम. पी. टी. अधिनियम की धारा 61 में निहित स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए उनका सामान कभी भी ग्रहणाधिकार का विषय नहीं हो सकता है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि रिट याचिका उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है और पी. पी. अधिनियम की धारा 6 के आवेदन के संबंध में सभी दलीलों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है।पूर्ण पीठ ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है और कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया है।

/

/

स्थिति.बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी मंडल में यह न्यायालय

और ओआरएस. वी.श्रीयनेश निटर्स, (1999) 7 एस. सी. सी. 359 ने एम. पी. टी. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के दायरे पर विचार किया है और कहा है कि ये प्रावधान पोर्ट ट्रस्ट को रिट याचिकाकर्ताओं से संबंधित वस्तुओं पर सामान्य ग्रहणाधिकार रखने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं।

/

14. हमने बार में किए गए विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।15. यह विवाद में नहीं है कि परिसर एक "सार्वजनिक परिसर" है जैसा कि पीपी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पोर्ट ट्रस्ट ने पी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिसर में अनधिकृत रूप से रहने वाले एस. टी. पी. एल. को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की। एस. टी. पी. एल. ने संपदा अधिकारी के समक्ष कार्यवाही का

विरोध किया है।09.07.2007 पर, संपदा अधिकारी ने बेदखली का आदेश पारित किया और एसटीपीएल को अनधिकृत उपयोग के लिए नुकसान का भुगतान करने का भी निर्देश दिया

/

/

838

/

[2019] 4 एस सी आर।

और परिसर का कब्जा।एस. टी. पी. एल. को बेदखल करने के लिए पी. पी. अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि परिसर से संबंधित सभी व्यक्तियों को भी विधि के अनुसार अधिसूचित किया गया था।बेदखली के उपरोक्त आदेश के संदर्भ में कब्जे की वसूली के लिए एक अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति के लिए 19.02.2008 पर एक आदेश पारित किया गया था।अधिकृत अधिकारी ने परिसर और परिसर में पड़े पात्रों को अपने कब्जे में ले लिया।अधिकृत अधिकारी को परिसर में पड़ी सामग्री/वस्तुओं की सूची लेने की अनुमति दी गई थी और अनधिकृत अधिभोगियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के निपटान के लिए पीपी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया था।स्थानीय समाचार पत्र में अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत परिसर के भीतर बची किसी भी संपत्ति को हटाने या हटाने या सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटाने के लिए एक नोटिस भी प्रकाशित किया गया था।इस स्तर पर, प्रतिवादियों/रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है, जिसमें पोर्ट ट्रस्ट को निर्देश दिया गया है कि उन्हें परिसर में पड़े अपने कंटेनरों को हटाने की अनुमति दी जाए।

/

/

16. पी. पी. अधिनियम सार्वजनिक परिसरों से रहने वालों को बेदखल करने और कुछ आकस्मिक मामलों का प्रावधान करता है।यह अधिनियम सार्वजनिक परिसरों में अनधिकृत रूप से रहने वालों को बेदखल करने के लिए एक त्वरित तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।पी. पी. अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के बयान से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक परिसरों पर अनधिकृत कब्जे और ऐसे अनधिकृत कब्जे के लिए किराए या नुकसान की वसूली के स्पष्ट मामलों में भी सरकार के लिए त्वरित कार्रवाई करना असंभव हो गया है।इसलिए, अनधिकृत कब्जे वाले व्यक्तियों को बेदखल करने के लिए एक त्वरित तंत्र को बहाल करना अनिवार्य माना जाता है।17. धारा 2 (जी) सार्वजनिक परिसरों के संबंध में 'अनधिकृत कब्जा' अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः-

/

/

/

(छ) किसी भी सार्वजनिक परिसर के संबंध में "अनधिकृत कब्जा" का अर्थ है सार्वजनिक परिसर के किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे कब्जे के लिए प्राधिकरण के बिना कब्जा, और इसमें प्राधिकरण (चाहे अनुदान के रूप में या हस्तांतरण के किसी अन्य तरीके से) के बाद सार्वजनिक परिसर के किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा में रहना शामिल है, जिसके अंतर्गत उसे परिसर पर कब्जा करने की अनुज्ञात गई थी, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है या किसी भी कारण से निर्धारित किया गया है।

/

18. धारा 5 अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है।धारा 5 ए को 1980 के अधिनियम 61 द्वारा जोड़ा गया था, जो 20.12.1980 से प्रभावी हो गया है।इस खंड में ए को हटाने का प्रावधान है।

/

839

कोलकाता v.APL (भारत) PVT के बंदरगाह के लिए न्यासियों का बोर्ड। लिमिटेड।[एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

किसी भी सार्वजनिक परिसर पर या उसके खिलाफ या उसके सामने अनधिकृत निर्माण।इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक प्रावधान धारा 5 ए की उप-धारा (1) (बी) और उप-धारा (3) हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

“5A. अनधिकृत निर्माणों आदि को हटाने की शक्ति।-

(1) कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा -

/

(ए)।

((ख) किसी भी वस्तु का प्रदर्शन या प्रसार करना।(सी)।

प्राधिकरण (चाहे अनुदान के रूप में या हस्तांतरण के किसी अन्य तरीके से) के अनुसार, जिसके अंतर्गत उसे ऐसे परिसर पर कब्जा करने की अनुज्ञात गई थी, को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक परिसर पर, या उसके खिलाफ, या उसके सामने।

/

(2) …….

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई चल संरचना या उपकरण खड़ा किया गया है, रखा गया है या खड़ा किया गया है, या कोई सामान प्रदर्शित किया गया है या फैलाया गया है, या कोई मवेशी या अन्य जानवर किसी सार्वजनिक परिसर में लाया गया है या रखा गया है, वहां संपत्ति अधिकारी, आदेश द्वारा, सार्वजनिक परिसर से ऐसी संरचना, उपकरण, सामान, मवेशी या अन्य जानवर, जो भी मामला हो, बिना किसी सूचना के हटा सकता है या हटा सकता है और भूमि राजस्व के बकाया के रूप में ऐसे व्यक्ति से हटाने की लागत वसूल कर सकता है। "

/

/

19. धारा 6 अनधिकृत अधिभोगियों द्वारा सार्वजनिक परिसरों में छोड़ी गई संपत्ति के निपटान का प्रावधान करती है।इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक उप-धाराएँ धारा 6 की उप-धाराएँ (1 ए) और (2) हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

/

"6. अनधिकृत कब्जाधारियों द्वारा सार्वजनिक परिसरों में छोड़ी गई संपत्ति का निपटान।-

(1) …….

/

(1 ए) जहां धारा 5 ए के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक परिसर से कोई सामान, सामग्री, मवेशी या अन्य जानवर को हटा दिया गया है, वहां संपत्ति अधिकारी, ऐसे सामान, सामग्री, मवेशी या अन्य जानवर रखने वाले व्यक्तियों को चौदह दिन का नोटिस देने के बाद और कम से कम एक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करने के बाद जो प्रसारित हो।

/

क्षेत्र में, सार्वजनिक नीलामी द्वारा, ऐसी वस्तुओं, सामग्रियों, मवेशियों या अन्य जानवरों का निपटान करें।

(1 बी)।

(2) जहां कोई संपत्ति उप-धारा (1) के अंतर्गत बेची जाती है, वहां उसकी बिक्री की आय, बिक्री के खर्चों में कटौती करने के बाद और केंद्र सरकार या [सांविधिक प्राधिकारी] को किराया या नुकसान या लागत के बकाया के कारण देय राशि, यदि कोई हो, का भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जाएगा जो संपत्ति अधिकारी को इसके लिए हकदार प्रतीत हों:

/

बशर्ते कि जहां संपदा अधिकारी उस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ है जिसे राशि की शेष राशि देय है या उसी के विभाजन के बारे में, वह ऐसे विवाद को सक्षम अधिकार क्षेत्र के दीवानी न्यायालय को भेज सकता है और उस पर न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

/

20. उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि इस तरह के व्यवसाय के लिए प्राधिकरण के बिना सार्वजनिक परिसरों पर कब्जा करने वाला कोई भी व्यक्ति अनधिकृत निवासी है।इस संदर्भ में धारा 5 ए की उप-धारा (1) (बी) में निहित 'किसी भी सार्वजनिक परिसर में फैला हुआ' अभिव्यक्ति का अर्थ भी 'किसी भी परिसर में पड़ा हुआ' है।धारा 5 ए की उप-धारा (3) संपदा अधिकारी को अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत बेदखली का आदेश दिए जाने के बाद किसी भी सार्वजनिक परिसर में पड़े किसी भी सामान को हटाने के लिए अधिकृत करती है। यह मायने नहीं रखता कि उक्त माल पूर्व किरायेदार/लाइसेंसधारी का है या किसी अन्य पक्ष का।धारा 6 की उप-धारा (1 ए) संपदा अधिकारी को ऐसी वस्तुओं के मालिक व्यक्तियों को चौदह दिन का नोटिस देने और उसमें निर्धारित अन्य प्रक्रिया के बाद ऐसी वस्तुओं/सामग्रियों आदि का निपटान करने के लिए अधिकृत करती है।यह आवश्यक नहीं है कि परिसर में पड़े माल के मालिक व्यक्ति पूर्व किरायेदार/लाइसेंसधारी हों।यह भी आवश्यक नहीं है कि धारा 6 के अंतर्गत संपदा अधिकारी द्वारा संपत्ति के निपटान के लिए पोर्ट ट्रस्ट और तीसरे पक्ष के बीच अनुबंध की गोपनीयता होनी चाहिए, जिसके पास ऐसी वस्तुएं और सामग्री हैं।

/

/

/

/

21. भारतीय रेयॉन में, खंड पीठ विशेष रूप से एम. पी. टी. अधिनियम के अंतर्गत ग्रहणाधिकार के साथ काम कर रही थी। इसने पी. पी. अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अनधिकृत किरायेदारों को बेदखल करने पर विचार नहीं किया है। यह निर्णय मैसर्स श्रीयनेश निटर्स (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है।

/

कोलकाता v.APL (भारत) PVT के बंदरगाह के लिए न्यासियों का बोर्ड। लिमिटेड।[एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

/

22. कैनोरो रिसोर्सेज में डिवीजन बेंच उस मामले पर विचार कर रही थी जहां पी. पी. अधिनियम के अंतर्गत एस्टेट अधिकारी द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के निष्पादन में, संपदा अधिकारी ने किरायेदार से भूमि का कब्जा प्राप्त किया और पट्टे की भूमि पर पड़ी लकड़ी और आवरण पाइपों को जब्त कर लिया।इन वस्तुओं के मालिक ने एस्टेट अधिकारी के आदेश को एक रिट याचिका में यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि उनके और पोर्ट ट्रस्ट के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी।इस पृष्ठभूमि में, डिवीजन बेंच ने कहा कि एम. पी. टी. अधिनियम की धारा 59 और 61 और पी. पी. अधिनियम की धारा 5 और 6 के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई माल पोर्ट ट्रस्ट की भूमि पर पड़ा हुआ पाया जाता है, और ऐसी भूमि के लिए कोई किराया देय या देय है, तो पोर्ट ट्रस्ट को न केवल माल पर ग्रहणाधिकार है, बल्कि उन वस्तुओं को बेचने का भी अधिकार है ताकि किराये के बकाया के लिए बिक्री की कार्यवाही को उचित बनाया जा सके।

/

/

23. जैसा कि ऊपर देखा गया है, कैनोरो रिसोर्सेज में शुरू की गई कार्यवाही पीपी अधिनियम के अंतर्गत थी। इसलिए, पी. पी. अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही में एम. पी. टी. अधिनियम की धारा 59 और 61 को पढ़ना डिवीजन बेंच के लिए आवश्यक नहीं था। हमारे विचार में, पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित करना उचित ठहराया कि वे टिप्पणियां, अधिक से अधिक, आज्ञाकारी थीं।पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए भी न्यायसंगत ठहराया कि भारतीय रेयॉन में खंड पीठ के दो निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है और

/

कैनोरो संसाधन।

/

24. तत्काल मामले में, पोर्ट ट्रस्ट की ओर से आग्रह किया गया तर्क यह है कि भले ही धारा 5 के अंतर्गत बेदखली के आदेश के बाद तीसरे पक्ष का माल परिसर में पड़ा हुआ पाया जाए, लेकिन वह माल बेचने और किराए या नुकसान आदि के बकाया के कारण पोर्ट ट्रस्ट को देय किसी भी राशि की बिक्री से कटौती करने का हकदार था और बिक्री आय की शेष राशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जाएगा, जो एस्टेट अधिकारी को दिखाई दे।हम पोर्ट ट्रस्ट की ओर से की गई इस प्रस्तुति से पूरी तरह सहमत हैं।हमारा विचार है कि पी. पी. अधिनियम की धारा 6 को सार्वजनिक परिसरों का कब्जा प्राप्त करने और बकाया आदि की वसूली के लिए वैधानिक अधिकारियों को सभी परिणामी कदम उठाने में सक्षम बनाने के स्पष्ट उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उक्त प्रावधान की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए जो इसके अधिनियमन के उद्देश्य को विफल कर दे।

पी. पी. अधिनियम की धारा 6 को एम. पी. टी. अधिनियम की धारा 59 और 61 से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जैसा कि देखा गया है।

/

/

/

842

/

[2019] 4 एस सी आर।

ऊपर, पी. पी. अधिनियम की धारा 6, अन्य बातों के साथ-साथ, उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो अपना सामान सार्वजनिक परिसरों में रखते हैं, चाहे वे किरायेदार/लाइसेंसधारी, उप-किरायेदार या कोई अन्य पक्ष हों।पी. पी. अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत संपदा अधिकारी, अनधिकृत कब्जे के अंतर्गत परिसर में/परिसर में पाए गए किसी अजनबी के सामान को भी बेचने का हकदार है।

25. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पहले ही रिट याचिका को गुण-दोष पर निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया था।हम उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, रिट याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लें।

/

/

26. दीवानी अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

/

/

/

/